भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

EW1248

(101)

समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी–4395/2018/भोपाल/भू.रा. प्रकरण क. ..../2018

1 श्रीमति संगीता आर.डैनी
पत्नी श्री आर.डी.डैनी, आयु वयस्क
2. आर.डी.डैनी आ0 श्री दयाल डैनी, आयु वयस्क
दोनो निवासी–म.नं. 4, ओ.एन.जी.सी.काम्पलेक्स
सहयोग बिहार एक्सटेंशन, लक्ष्मी परिसर के
पीछे, बावड़िया कला, वार्ड क. 52 भोपाल म.प्र.
3 महेन्द्र सिंह लोधी आ0 श्री शिवदयाल लोधी, वयस्क
4 श्रीमति रूपाली पटेल पत्नी श्री महेन्द्र सिंह लोधी, वयस्क
क. 3 व 4 निवासी–म.नं. 5, ओ.एन.जी.सी.काम्पलेक्स
सहयोग बिहार एक्सटेंशन, लक्ष्मी परिसर के
पीछे, बावड़िया कला, वार्ड क. 52 भोपाल म.प्र.
5 सिद्धार्थ सोनकिया आ0 श्री अरूण सोनकिया, वयस्क
6 श्रीमति कृष्णा सोनकिया पत्नी श्री अरूण सोनकिया, वयस्क
क. 5 व 6 निवासी–म.नं. 2, ओ.एन.जी.सी.काम्पलेक्स
सहयोग बिहार एक्सटेंशन, लक्ष्मी परिसर के
पीछे, बावड़िया कला, वार्ड क. 52 भोपाल म.प्र. ----- निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1 श्रीमति ऊषा किरण गुप्ता पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
आयु वयस्क,
2 सुरेन्द्र गुप्ता आ0 श्री मोतीलाल गुप्ता, आयु वयस्क
दोनों निवासी–ई–8/35, शिवाकुंज,
अरेरा कालोनी, भोपाल म.प्र. ----- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्तागण की ओर से अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक राजधानी परियोजना नजूल टी.टी.नगर भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण कमांक 40/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 एवं सीमांकन दिनांक 07.05.2018 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है:–

निगरानी के तथ्य

1 संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 एवं अनावेदक कमांक 2 आपस में पति–पत्नी हैं, अनावेदक कमांक 1 श्रीमति ऊषा किरण गुप्ता के द्वारा माननीय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी.नगर वृत्त, भोपाल में इस आशय का सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया था कि ग्राम बावड़िया कला, पटवारी हल्का नंबर 42/50 स्थित भूमि खसरा नंबर 60/2/6/2/2क रकबा 0.046 हे0 भूमि का सीमांकन किया जावे, इस बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था।

क्रमशः

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4395/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी RI तहसीलदार राज.परि. नजूल टी.टी. नगर वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-05-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी RI तहसीलदार राज.परि. नजूल टी.टी. नगर वृत्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	